न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 77/2022 GCMS No. 2022/77

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1. बाबुलाल पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी होलाणी तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा		1. तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा 2. राजुराम पुत्र सोनाराम 3. बांकाराम पुत्र लुम्बाराम 4. चनणाराम पुत्र लुम्बाराम 5. रूगाराम पुत्र लुम्बाराम 6. विजाराम पुत्र लुम्बाराम 7. अणसीदेवी पत्नि लुम्बाराम 8. टीकुराम उर्फ टीकमाराम पुत्र सोनाराम 9. चिमाराम पुत्र रतनाराम 10. पेपोंदेवी पत्नि रतनाराम 11. बगताराम पुत्र सोनाराम 12. दमाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासीयान होलाणी तहसील गिड़ा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/254 दिनांक 09.11.2021 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा कृषि जोत भूमि का सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमराज पंवार,अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. उतरदाता अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

आदेश

दिनांकः–18.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/254 दिनांक 09.11.2021 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा कृषि जोत भूमि का सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा के अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 12 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 12.6666 हेक्टेयर,खसरा नम्बर 229/143 रकबा 7.2843 हेक्टेयर,खसरा न.155 रकबा 0.0243 हेक्टेयर, खसरा नं. 156 रकबा 4.9857 हेक्टेयर, खसरा नं. 157 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा नं. 159 रकबा 1.8616 हेक्टेयर खसरा नं. 169 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, व खसरा नम्बर 230/146 रकबा 5.3257 हेक्टेयर, मौजा होलोणी तथा खसरा नम्बर 301/227 रकबा 5.4309 हेक्टेयर मौजा लेगो की ढाणी एवं खसरा नं. 119/25 रकबा 25.3510 हेक्टेयर,खसरा न. 120/25 रकबा 33.3784 हेक्टयर व खसरा नं. 123/25 रकबा 2.0558 हेक्टेयर मौजा चैनपुरा पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/254 दिनांक 09.11.2021 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा कृषि जोत भूमि का सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांटसं कि बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी मण्डल चीबी तहसीलदार गिड़ा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आराजी होलाणी व लेगो की ढाणी में अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 12 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 12.6666 हेक्टेयर,खसरा नम्बर 229/143 रकबा 7.2843 हेक्टेयर,खसरा न.155 रकबा 0.0243 हेक्टेयर, खसरा नं. 156 रकबा 4.9857 हेक्टेयर, खसरा नं. 157 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा नं. 159 रकबा 1.8616 हेक्टेयर खसरा नं. 169 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, व खसरा नम्बर 230/146 रकबा 5.3257 हेक्टेयर, मौजा होलोणी तथा खसरा नम्बर 301/227 रकबा 5.4309 हेक्टेयर मौजा लेगो की ढाणी एवं खसरा नं. 119/25 रकबा 25.3510 हेक्टेयर,खसरा न. 120/25 रकबा 33.3784 हेक्टयर व खसरा नं. 123/25 रकबा 2.0558 हेक्टेयर मौजा चैनपुरा पटवार मण्डल चीबी न्यायालय तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/254 दिनांक 09.11.2021 पर अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाने के बावजूद अपीलांट एवं अपीलाटं के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

1. अपीलांटगण की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

2. तहसीलदार गिड़ा मौजा आराजी होलाणी व लेगो की ढाणी में अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 12 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 12.6666 हेक्टेयर,खसरा नम्बर 229/143 रकबा 7.2843 हेक्टेयर,खसरा न.155 रकबा 0.0243 हेक्टेयर, खसरा नं. 156 रकबा 4.9857 हेक्टेयर, खसरा नं. 157 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा नं. 159 रकबा 1.8616 हेक्टेयर खसरा नं. 169 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, व खसरा नम्बर 230/146 रकबा 5.3257 हेक्टेयर, मौजा होलोणी तथा खसरा नम्बर 301/227 रकबा 5.4309 हेक्टेयर मौजा लेगो की ढाणी एवं खसरा नं. 119/25 रकबा 25.3510 हेक्टेयर,खसरा न. 120/25 रकबा 33.3784 हेक्टयर व खसरा नं. 123/25 रकबा 2.0558 हेक्टेयर मौजा चैनपुरा पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा की प्रति पेश की जो शामिल मिसल हो।

3. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर राजस्व आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/254 दिनांक 09.11.2021 में पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाए जाऐ।

4. निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(डॉ गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा